न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0– 30 / 2023–24
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष.......... विश्वा इंदवार ....
बनाम
द्वितीय पक्ष .... पिटर मिंज .... वगैरह

7.7.23 वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 01/2023 दिनांक 03.04.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** 1. विश्वा इंदवार, उम्र 23 वर्ष, पे० शिबु इंदवार, सा० – लौंगा थाना बसिया, जिला गुमला बनाम **द्वितीय पक्ष** 1. पिटर मिंज, उम्र 46 वर्ष, पे० – हेथलवट मिंज 2. रेशमी मिंज, उम्र 40 वर्ष पति– पिटर मिंज, साकिन – लोंगा, थाना बसिया, जिला गुमला के बीच मौजा लोंगा के खाता सं० 03, प्लॉट सं० 1585, रकबा 0.05 एकड़ है। भूमि की चौहदी उत्तर में पी०सी०सी० रास्ता के बाद मनोज मिंज का मिट्टी का खपड़ा का मकान, दक्षिण में अजित बारला का मिट्टी खपड़ा का मकान, पुरब में किशोर उरॉव का मिट्टी खपड़ा का मकान, पश्चिम में मनोज मिंज का मिट्टी खपड़ा का मकान को लेकर विवाद एवं तनाव है। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है। थाना प्रभारी बसिया के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिववक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रथम पक्ष के विरूद्ध में धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की गयी है न्याय संगत नहीं है। मौजा लोंगा थाना नं० 140 थाना बसिया जिला– गुमला के विवादित जमीन साबिक खाता नं०– 3 साबिक प्लॉट नं०– 1585 रकबा 0.05 डी० बकास बकास मालिक (खास मालिक) है और खतियान के कैफियत कॉलम नं० 17 में मीन जानिब इजमाल बकब्जे शनीचर लोहरा वल्द फागु लोहरा कौम लोहरा साकिन देह मुदत 8 साल नाप के पूर्व से दखल है तथा 2 कीता मकान और एक आंगन है जिसमें प्रथम पक्ष सब परिवार रहते हैं जिसका वंशावली इस प्रकार है–

फागु लोहरा
↓
शनिचर लोहरा
↓
चतुर लोहरा
↓
हीरू लोहरा
↓
जेरकुलोहरा (मृत) | सुकरू लोहरा | फागु लोहरा (मृत)

सुकरू लोहरा
↓
सिबु इन्दवार | जमी इन्दवार

सिबु इन्दवार
↓
संजय इन्दवार | अनमोल इन्दवार | विश्वा इन्दवार (प्रथम पक्ष)

जमी इन्दवार
↓
अकास इन्दवार

प्रथम पक्ष के द्वारा पुलिस अधीक्षक गुमला में एक आवेदन दिया गया था जिसमे द्वितीय या के लोग पीटर मिंज, रेशमी मिंज, राजेश मिंज, शेरनुस मिंज, मुक्ता मिंज, दोमनीक मिंज, के द्वारा मेरे घर में घुस कर घर में बनाया हुआ खाना को घर से बाहर जमीन में फेक दिया। 16 जनवरी 2023 की सुबह की है प्रथम पक्ष के विरुद्ध अवमानीय कार्य किया। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक गुमला ने थाना प्रभारी बसिया को जॉच पडताल करने की इज्जाजत दिया गया। थाना प्रभारी बसिया के द्वारा गोपनीय जाँच करने पर पाया गया कि विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष के पूर्वजों के द्वारा निर्मित मकान पाया गया और घर में रहने का सबूत पाया। इसे सबूत होता है कि प्रथम पक्ष के लोग करीब 100 वर्ष से दखल में है। थाना प्रभारी बसिया के रिर्पोट के आधार पर धारा 144 दं० प्र० सं० का कार्रवाई अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया के द्वारा प्रथम पक्ष को नोटिश निर्गत की गयी है। पुलिस रिर्पोट और कागजी सबूत के आधार पर प्रथम पक्ष का दखल पाया गया आज से 100 साल हो रहा है। द्वितीय पक्ष के पास कोई सबूत या आधार नहीं है लेकिन प्रथम पक्ष के दखल को, मकान को गाँव से भगाने का आरोप लगाकर भगाना चाहते है। विवादित घर मकान सहन के अलावे कोई जमीन नहीं है तथा भूमि हीन व्यक्ति है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि विवादित जमीन के अलावे भूमि हीन व्यक्ति है इसलिए द्वितीय पक्ष को विवादित में जाने से रोका जाय। जिसे शांति भंग न हो सकें।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 खतियान की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रथम पक्ष के आवेदन पर बसिया थाना अप्राथमिकी संख्या 1/2023 के प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्षों के बीच यह मुकदमा लाया गया है जो द्वितीय पक्ष पर चलने योग्य नहीं है। द्वितीय पक्ष के सदस्य सीधे–साधे सामाजिक व्यक्ति है जो कानून का पालन करने वाले है अतः द्वितीय पक्ष शान्ति प्रिये व्यक्ति है द्वितीय पक्ष से शान्ति भंग होने की संभावना नहीं है बल्कि प्रथम पक्ष कानून को कुछ भी नहीं समझते है एवं द्वितीय पक्ष के लोगों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करते है जिससे हमेशा शान्ति भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। विवाद का कारण मौजा लोंगा थाना बसिया, थाना नम्बर 140, जिला गुमला अन्तर्गत खाता 6, प्लॉट नम्बर 1585 रकबा 0.05 एकड़ भूमि पर बना मकान से संबंधित है। उक्त मकान का निर्माण द्वितीय पक्ष के पूर्वज बनाकर प्रथम पक्ष को नोकरान फाल पजाने के कार्य के लिए रहने के लिए दिया गया था। प्रथम पक्ष के सदस्य अब फाल पजाने का कार्य नहीं करते है ऐसी परिस्थिति में द्वितीय पक्षों के द्वारा मकान खाली करने एवं जमीन खाली करने के लिए एक S.A.R. मुकदमा प्रथम पक्ष के विरूद्ध लाया गया है जो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बसिया जिला गुमला की न्यायालय में S.A.R. No- 4/2022-23 लम्बित है। उपरोक्त वर्णित जमीन द्वितीय पक्ष की पूर्वज कड़कु महतो वो देने महतो वगैरह के नाम पर कायमी जमीन है जिसपर द्वितीय पक्ष के सदस्य पिढ़ी दर पिढ़ी जोत आबाद करते चले आ रहे है एवं लगान रसीद अंजन उराँव द्वितीय पक्ष के परदादा के नाम से कटता है जिसका भोलुम 1 पेज नम्बर 6 अंचल कार्यालय बसिया के पंजी II में दर्ज है। द्वितीय पक्ष के सदस्यों पर लगाया गया आरोप असत्य बनावटी मनगढ़ंत है बल्कि द्वितीय पक्ष के खतियानी जमीन को हड़पने के नियत से यह झुठा मुकदमा लाया गया है। प्रथम पक्ष दबंग लड़ाकू प्रवृति के सदस्य है कानून को कुछ नहीं समझते है हमेशा द्वितीय पक्ष के सदस्यों को परेशान करते रहते है।

अतः श्रीमान् से नम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त साक्ष्य कागजात का अवलोकन कर द्वितीय पक्ष के हित में आदेश पारित किया जाए ताकि द्वितीय पक्ष के सदस्य अमन चौन से अपनी भूमि का उपयोग कर सके और प्रथम पक्ष के सदस्यों को उपरोक्त वर्णित जमीन में जाने पर रोक लगाया जाय।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 आर०एस० खतियान की छायाप्रति
2 रसीद की छायाप्रति।

आदेश

वादगत भूमि थाना बसिया मौजा लोंगा के खाता सं० 03, प्लॉट सं० 1585, रकबा 0.05 एकड़ जमीन से संबंधित है। वादगत भूमि में समयावधी बीत जाने के कारण वाद की कार्यवाही बिना गुण-दोष के समाप्त की जाती है। वर्तमान में वादगत भूमि को लेकर शांति भंग होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2023.11.28 16:22:46 +05:30
Location: 192.168.0.26